(99)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
.12.2020	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभय पक्ष उपस्थित। निगरानीकर्ता लाधूराम पुत्र पूराराम द्वारा प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन किया कि ग्राम पंचायत के द्वारा ग्राम के प्रमुख व्यक्तियों की उपस्थिति में विवादित भूखण्ड को लेकर दोनो पक्षकारान के मध्य समझाईश करवाकर राजीनामा करवा दिया गया है। निगरानीकर्ता अब इस निगरानी को वापिस लेना चाहता है। निगरानीकर्ता लाधुराम पुत्र पूराराम द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर उसके अधिवक्ता श्री राकेश कुमार मनचन्दा द्वारा पहचान की गई। अधिवक्ता गैरनिगरानीकर्ता श्री शिशपाल शर्मा द्वारा निगरानीकर्ता के प्रार्थना पत्र पर कोई आपत्ति नहीं होना अंकित किया है। प्रकरण में गैर निगरानीकर्ता संख्या 04 दर्शन सिंह पुत्र बोगा सिंह जाति मजहबी निवासी ग्राम पालीवाला तहसील सूरतगढ़ ने दिनांक 23.11.2020 को उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निगरानीकर्ता द्वारा राजीनामा बाबत प्रस्तुत किये गये प्रार्थना पत्र को अस्वीकार कर स्थगन आदेश प्रभावी रखने का निवेदन किया। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को शामिल मिसल किया गया। प्रार्थी दर्शन सिंह पुत्र बोगा सिंह के प्रार्थना पत्र पर अधिवक्ता निगरानीकर्ता ने कथन कि प्रार्थी अपनी निगरानी का विधिक रूप से मालिक है। इसलिए उसे अपनी निगरानी वापिस लेने का अधिकार प्राप्त है। गैरनिगरानीकर्ता के केवल कहने मात्र से प्रार्थी को उसके विधिक अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता है। गैर निगरानीकर्ता द्वारा कोई कॉस ऑब्जेक्शन फाईल नहीं किया गया है और ना ही अपनी तरफ से इस संबंध में आज दिनांक तक अलग से कोई निगरानी विकास अधिकारीएवं सचिव प्रशासन एवं स्थायी स्थापना समिति, सूरतगढ़ के द्वारा पारित आदेश के विरूद्व इस न्यायालय के समक्ष पेश की गई है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे। हमने पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। प्रार्थी/निगरानीकर्ता द्वारा अपनी निगरानी को विड्रॉ करने का प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। जिससमें गैरनिगरानीकर्ता संख्या 01 विमला देवी जिसके विरूद्व मुख्य रूप से अनुतोष प्रार्थी द्वारा चाहा गया था उनके अधिवक्ता द्वारा कोई आपत्ति ना होना प्रार्थना पत्र पर अंकित कर दिया गया है। गैरनिगरानीकर्ता संख्या 04 के विरूद्व प्रार्थी द्वारा किसी प्रकार का कोई अनुतोष अपनी निगरानी में नहीं चाहा गया है और न ही इससे उसके हितों पर किसी प्रकार से कोई प्रभाव पड रहा है। गैरनिगरानीकर्ता संख्या 04 के द्वारा किसी भी प्रकार से निगरानी का जवाब या क्रॉस ऑब्जेक्शन या अतिरिक्त निवेदन लिखित में पेश नहीं किया गया है, जिससे उसके अधिकार इस निगरानी में सृजित होते हो। निगरानीकर्ता विधिक रूप से अपनी निगरानी को विड्रा करने का अधिकारी है। जिसे नियमानुसार विड्रा करने से नहीं रोका जा सकता है। गैरनिगरानीकर्ता यदि चाहे तो अपनी तरफ से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के विरूद्व निगरानी प्रस्तुत करने हेतु स्वंतत्र है। अतः प्रार्थी/निगरानीकर्ता का प्रार्थना पत्र न्यायहित में स्वीकार किया जाकर प्रकरण में दिनांक 19.10.2020 को जारी एक तरफा स्थगन आदेश को निरस्त करते हुए इस निगरानी को खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। 30.12.20 (अशोक कुमार मीणा) अतिरिक्त जिला कलक्टर सूरतगढ़ (श्रीगंगानगर)	

Scanned by CamScanner